

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला-गुना
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1353 अतारांकित के प्रश्नांश (ख) की जानकारी

परिशिष्ट-1

क्रं.	शिकायत का विवरण	कालाबाजारी/व्यापारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	दर्ज उर्वरक लाईसेंस के रासायनिक उर्वरक का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय	आरोपी संजय पालीवाल पिता बाबूलाल पालीवाल मंडी गेट के सामने भोपाल रोड मधुसूदनगढ़ जिला-गुना के विरुद्ध FIR क्रमांक 0083 दिनांक 29-04-2022 को प्रकरण दर्ज
2	रासायनिक उर्वरक का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय	आरोपी रामविलास साहू पिता रामकिशन साहू गीतानगर कालोनी कुंभराज जिला-गुना के विरुद्ध FIR क्रमांक 0177 दिनांक 23-06-2022 को प्रकरण दर्ज
3	यूरिया उर्वरक का अवैध रूप से विक्रय	आरोपी मुकेश कुशवाह पिता रामचरण कुशवाह (टुक झईवर) ग्राम-वरखेडा चांचौड़ा जिला-गुना के विरुद्ध FIR क्रमांक 0217 दिनांक 01-10-2022 को प्रकरण दर्ज
4	नाननीय विधायक श्री लक्ष्मण सिंह विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा जिला-गुना के पत्र क्रमांक/266/MLA/ CHACHODA दिनांक 24.09.2022 से क्षेत्र के तीनों तहसीलों में खाद वितरण में अनियमितता एवं किसानों को आने वाली समस्या के निवारण हेतु शिकायत प्राप्त हुई।	उक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला गुना के पत्र क्रमांक/टी-8/2022-23/6542 गुना दिनांक 29.11.2022 द्वारा जांच दल का गठन कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जांच का प्रतिवेदन चाला गया। जांच अधिकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संभाग रायगढ़ द्वारा विधानसभा चांचौड़ा अंतर्गत मौके पर चाकर उर्वरक विक्रेताओं के तमूने लिये गये एवं कुंभराज के क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के कृषकों से खाद वितरण के संबंध में चर्चा कर पंचनान्ना तैयार किये गये। किसानों को नकली खाद प्राप्त होने संबंधी कोई भी शिकायत संज्ञान में नहीं आने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संयुक्त संचालक (उर्वरक)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, गोपाल

संयुक्त संचालक (उर्वरक)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, गोपाल

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला-गुना

22/10/21/23